न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 56/2022 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2022/74

1. तीजा देवी पत्नि सुगनाराम जाति बिश्नोई निवासी जांगलू तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. शांति देवी पत्नि भगवानाराम जाति बिश्नोई निवासी जांगलू तहसीला नोखा जिला बीकानेर।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. देवीसिंह पुत्र हरिसिंह
2. नरपतसिंह पुत्र हरिसिंह
3. रामसिंह पुत्र हरिसिंह
4. विजयसिंह पुत्र हरिसिंह

जाति राजपूत निवासी जांगलू तहसील नोखा जिला बीकानेर।

5. बजरंगलाल
6. बीरबल
7. राजाराम
8. रामजस
9. हरीराम
10. श्रवणराम

जाति बिश्नोई निवासी जांगलू तहसील नोखा जिला बीकानेर।

11. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा जांगलू जरिए शाखा प्रबंधक शाखा जांगलू तहसील नोखा जिला बीकानेर।
12. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व) नोखा।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री सीताराम बिश्नोई अभिभाषक अपीलांट्स
श्री मुकेश आचार्य अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स सं. 5 ता 10

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय

दिनांक 26.12.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 16.03.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि वाके रोही जांगलू के खेत खसरा नंबर 1277 तादादी 1.74 हैक्टेयर, 1278 तादादी 3.18 हैक्टेयर, 1279 तादादी 0.03 हैक्टेयर, 1365 तादादी 1.18 हैक्टेयर, 1366 तादादी 0.22 हैक्टेयर, 1590/1367 तादादी 0.20 हैक्टेयर, 737 तादादी 7.87 हैक्टेयर व खसरा नंबर 910 तादादी 2.17 हैक्टेयर कुल तादादी 16.59 हैक्टेयर भूमि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 की संयुक्त खातेदारी भूमि है। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ता 10 ने अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128, 129 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया, जिस पर निर्णय पारित करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.03.2022 पारित करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 16.03.2022 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री सीताराम बिश्नोई ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि वाके रोही जांगलू के खेत खसरा नंबर 1277 तादादी 1.74 हैक्टेयर, 1278 तादादी 3.18 हैक्टेयर, 1279 तादादी 0.03 हैक्टेयर, 1365 तादादी 1.18 हैक्टेयर, 1366 तादादी 0.22 हैक्टेयर, 1590/1367 तादादी 0.20 हैक्टेयर, 737 तादादी 7.87 हैक्टेयर व खसरा नंबर 910 तादादी 2.17 हैक्टेयर कुल तादादी 16.59 हैक्टेयर भूमि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 की संयुक्त खातेदारी भूमि है, जिस पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 अरसे दराज से काबिज है तथा पुरानी सीमाएं बनी हुई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ता 10 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से इकतरफा तौर पर प्राप्त आदेश की आड़ में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 की खातेदारी भूमि में प्रवेश कर वर्षों पुरानी सीमाएं परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने 2009 में हुए सीमाज्ञान के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया है

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जबकि 2009 से 2022 के मध्य 13 वर्ष के समय में मौके की कई स्थितियां परिवर्तित हो गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रभावित होने वाले खेत पड़ौसी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही मात्र तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट्स को अपने वर्षों पुराने कब्जे से हटाया जा रहा हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने तीन महिने पुरानी पत्थरगढ़ी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जिस पर अपीलांट्स को आपति है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.03.2022 निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के पक्ष में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत का हवाला दिया है:–

क्र.सं	वर्ष	पेज संख्या
1.	RLW 2007	777
2.	RLW 2009	877
3.	RBJ(4) 1997	284
4.	RBJ(17) 2010	448
5.	RLW 2003(1)	68
6.	RBJ(8) 2001	486

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ता 10 ने दौराने बहस कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.03.2022 की पालना में पत्थरगढ़ी नियमानुसार हो गई है। उक्त कार्यवाही समस्त पक्षकारों को सुनकर एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। अपीलांट्स के द्वारा मौके पर पत्थरगढ़ी हो जाने के बाद भी गैर कानूनी गतिविधि की जा रही हैं, जिसके विरूद्ध संबंधित थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करवा रखी है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

3– हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.03.2022 अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि अधिनस्थ

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा उक्त प्रकरण में तहसीलदार नोखा एवं संबंधित थानाधिकारी को शामिल करते हुए एक समिति का गठन करें। उक्त समिति द्वारा मौके पर पहुंचकर दोनो पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि की पैमाइश करते हुए पत्थरगढ़ी के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करें तथा उसी दिन पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर